महत्वपूर्ण

संख्या–823/60–1–2021

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2021**

विषयः– 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु परिवार की निर्धारित वार्षिक आय सीमा में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–203/नि0म0क0/प्रोबे0/मु0बा0से0यो0/2021–22, दिनांक 11.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के सुगम संचालन हेतु शासनादेश संख्या–773/60–1–21, दिनांक 02.06.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु–1 (II) (योजना से लाभान्वित किये जाने वाले बच्चों की श्रेणियां) तथा बिन्दु–6 (III) (योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के अपात्र होने के कारण) में परिवार की वार्षिक आय सीमा रू0 2.00 लाख निर्धारित है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इस योजनान्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान हेतु परिवार की निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू0 2.00 लाख को बढ़ाकर रू0 3.00 लाख वार्षिक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गये निर्णय के अनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या–823(1)/60–1–21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
7– समस्त बाल कल्याण समिति, उ0प्र0, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8– गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव।